झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002.

अधिसूचना

संचिका संख्या–01/यो0 (नीति)–01/2024...2170.../ राँची, दिनांक–...16/10/2026.../

राज्य के अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या–1608 दिनांक–14.10.2024 द्वारा "वाल्मिकी छात्रवृति योजना" लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृति के रूप में पूर्ण Tuition Fee के भुगतान का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष है। साथ ही दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए सहायता राशि (Sustenance Allowance) के रूप में चार हजार रूपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका–13 में निहित प्रावधान के अनुसार योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु योजना की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से योजना के किसी प्रावधान को इस तरह से संशोधित किया जा सकेगा कि यह योजना के उद्देश्यों का उल्लंघन नहीं करता है। उक्त प्रावधान के अनुसार योजना के पात्रता मानदंड, Tuition Fee की अधिकतम सीमा तथा Sustenance Allowance की राशि को छोड़कर शेष सभी प्रावधानों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकेगा।

3. निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक–14.07.2026 की बैठक में योजना के प्रावधानों पर विचार करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से योजना के कतिपय प्रावधानों में संशोधन एवं इसपर विभागीय मंत्री के अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

4. अतः उच्च स्तरीय समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1608, दिनांक–14.10.2024 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:–

(क) **सिविल सर्जन की जगह सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को अधिकृत करना:–** जिला स्तर पर सिविल सर्जन ही Unique Disability ID (UDID) और Disability Certificate जारी करने वाले अधिकारी होते हैं। योजना के मौजूदा प्रावधान के तहत् जारी करने वाले अधिकारी से ही ऐसे UDID का दोबारा सत्यापन कराने से हितों का टकराव (conflict of interest) हो सकता है और दोबारा सत्यापन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। अतः UDID कार्ड के सत्यापन हेतु सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की सहयोग से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जाना है। तदनुसार संकल्प की कंडिका–3(ड.)(ii) एवं 17(3) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

संकल्प की कंडिका	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
3(ङ.)(ii)	Right to Persons with Disability Act, 2016 की धारा–2(r) के अनुसार, विद्यार्थी को 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति' होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र/विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (Unique Disability ID Card) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से सत्यापित किया जायेगा।	Right to Persons with Disability Act, 2016 की धारा–2(r) के अनुसार, विद्यार्थी को 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति' होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र/विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (Unique Disability ID Card) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र का सत्यापन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के सहयोग से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
17(3)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से दिव्यांग आवेदकों के लिए जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (Unique Disability ID Card) को सत्यापित किया जाएगा।	दिव्यांग विद्यार्थियों को जारी किया गया UDID कार्ड संबंधित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के सहयोग से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(ख). **जिला स्तरीय अनुश्रण समिति में बदलावः–** जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति को नियमित समीक्षा में आसानी हो, इसके लिए उप विकास आयुक्त को जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का उपाध्यक्ष नामित किया जाना है, जिन्हें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।

साथ ही, चूंकि सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के सहयोग से UDID कार्ड का सत्यापन किया जाना है, अतः उन्हें समिति का सदस्य बनाना आवश्यक है। तदनुसार संकल्प की कंडिका–9(ग) को निम्नांकित संशोधित किया जाता हैः–

<table>
<tr><th>संकल्प की कंडिका</th><th>वर्त्तमान प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>9(ग)</td><td>जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति– उपायुक्त की अध्यक्षता में योजना के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः–
<table>
<tr><td>उपायुक्त</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>उप–विकास आयुक्त</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td><td>जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति– योजना के अनुश्रवण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय अनश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः–
<table>
<tr><td>उपायुक्त</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>उप विकास आयुक्त</td><td>उपाध्यक्ष</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	सिविल सर्जन	सदस्य	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	सदस्य
	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	सदस्य सचिव	सिविल सर्जन	सदस्य
	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	सदस्य सचिव
			जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य

(ग). सभी आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रियाः– इस योजना के तहत् विद्यार्थियों के सत्यापन की विस्तृत प्रक्रिया 'विभागीय संकल्प' का हिस्सा नहीं थी। अतः क्रियान्वयन में स्पष्टता लाने और उच्च शिक्षण संस्थानों, जिला स्तरीय सत्यापन प्राधिकारों, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् एवं अन्य Stakeholders के बीच जिम्मेदारियों को अलग–अलग करने के लिए इस प्रक्रिया को जोड़ा जाना है। अतः संकल्प की कंडिका–(5) को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

संकल्प की कंडिका	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(5)	इस योजना के लिए आवेदन वेब–पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। वेब–पोर्टल का निर्माण Jharkhand Space Application Centre (JSAC) के द्वारा किया जायेगा। वेब–पोर्टल को झारखण्ड राज्य के राज्य डेटा सेन्टर या MeiTY empanelled Cloud सेवा प्रदाता में होस्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, शिकायत निवरण, अनुश्रवण आदि सभी व्यवस्था होगी।	इस योजना के लिए आवेदन वेब–पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। वेब–पोर्टल का निर्माण Jharkhand Space Application Centre (JSAC) के द्वारा किया जायेगा। वेब–पोर्टल को झारखण्ड राज्य के राज्य डेटा सेन्टर या MeiTY empanelled Cloud सेवा प्रदाता में होस्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, शिकायत निवरण, अनुश्रवण आदि सभी व्यवस्था होगी। योजना के वेब पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन निम्नलिखित स्तरों पर किया जाएगाः– • स्तर 1: आवेदन सबसे पहले संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान को भेजा जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थान मूल विवरण और दस्तावेजों जैसे कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं/डिप्लोमा, पाठ्यक्रम का विवरण, टयूशन फीस और संस्थान के बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सफल सत्यापन और यह सुनिश्चित करने के बाद कि विद्यार्थी योजना का दोहरा लाभ नहीं ले रहा है उच्च शिक्षण संस्थान विधिवत् हस्ताक्षरित प्रपत्र–III अपलोड करेगा। • स्तर 2: सफल सत्यापन के बाद अगला सत्यापन निम्न द्वारा किया जाएगाः–

		i. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (अनाथ विद्यार्थियों के मामले में) उनके अनाथ होने की स्थिति की पुष्टि करेंगे। ii. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा (दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए) विद्यार्थी के UDID विवरण की पुष्टि करेंगे। iii. सफल सत्यापन के बाद संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा क्रमशः प्रपत्र–I/ प्रपत्र–II अपलोड करेंगे। • आवेदन तब संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भेजा जाएगा, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त आवेदन का सत्यापन करेंगे। ज़िला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा सफल सत्यापन के बाद आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा और ट्यूशन फीस के भुगतान हेतु झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा।

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

16.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024 2170 / रॉची, दिनांक– 16/10/2026 /

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024 2170 / रॉची, दिनांक– 16/10/2026 /

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

16.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024.....2170...../ रॉची, दिनांक–.....16/10/2026...../

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रॉची/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के अपर मुख्य सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024.....2170...../ रॉची, दिनांक–.....16/10/2026...../

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/सभी उपायुक्त/सभी उप–विकास आयुक्त/सभी सिविल सर्जन/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची/विभागीय बजट शाखा/निदेशक/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, झारखण्ड/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/श्री चन्दन कुमार, MIS पदाधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।